झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–222 / 2019

जूलियस कच्छप ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से, झारखंड सरकार, रांची।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार, रांची।
3. महालेखाकार, झारखंड, रांचीं
4. भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र, पटना।
5. श्रीमती रीना मिंज, सहायक महाप्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र, पटना।

..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्त्ता के लिए :	श्री अजीत कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए :	श्री गौरांग जाजोडिया, एस0सी0–I के ए0सी0
बैंक के लिए :	श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता
महालेखाकार के लिए :	श्री सुरेश कुमार, अधिवक्ता

05 / 11.09.2020 याचिकाकर्त्ता के लिए श्री अजीत कुमार, श्री गौरांग जाजोडिया, एस0सी0–I के ए0सी0, श्री राहूल साबू राज्य अधिकारियों के लिए, श्री राजेश कुमार भारतीय स्टेट बैंक के लिए और महालेखाकार, झारखंड के लिए श्री सुरेश कुमार विद्वान अधिवक्तागण वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हैं।

याचिकाकर्त्ता डब्ल्यू0पी00 (एस0) सं0–7380/2017 की पुनःस्थापन चाहता है जिसे अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के कारण चूक के वजह से दिनांक 26.09.2018 को रिट याचिकाओं के एक बेंच में पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याचिका सेवानिवृति के बाद क बकाए से संबंधित है। बिल्कुल अनजाने में बचे हुए त्रुटियों को समय के भीतर दूर नहीं किया जा सका है। हालांकि, याचिकाकर्त्ता, जिसकी गलती नहीं है, को अपूरणीय क्षति होगी, यदि रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाता है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

याचिकाकर्त्ता की ओर से आग्रह किए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद और पार्टियों के सबमिशन पर, डब्ल्यू0पी00 (एस0) सं0–7380/2017 को पुनःस्थापित किया जाता है। रिट याचिका में बचे हुए त्रुटियों को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दूर कर दिया जाय। यह याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)